न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:– **57/2020**

बद्रीप्रसाद पुत्र मूलाराम जाति जाट साकिन कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

प्रार्थी

बनाम

1. पृथ्वीराज पुत्र मूलाराम जाति जाट साकिन कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री जसपाल सिंह दहिया	प्रार्थी
2. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा	अप्रार्थी संख्या 1
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा	अप्रार्थी संख्या 3

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 16/08/24

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क रा.का.अधि. अधिवक्ता श्री जसपाल सिंह दहिया द्वारा प्रार्थी की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि – प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का पंजीकृत पता वहीं है जो उक्त प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकित है। प्रार्थी के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 45 एनडीआर के खाता सं. 23/23 के प.नं. 63/335 (1) किला नं. 2, 9, 12, 19, 22 की 1.265 हैक., प.नं. 63/336 (7) किला नं. 2, 9, 12, 19, 22 की 1.265 हैक. कुल 2.530 हैक. कमांड अनकमांड खातेदारी दर्ज रिकार्ड वाके है। नकल जमाबंदी मय नजरी नक्शा सलग्न प्रार्थना पत्र है। यह कि अप्रार्थी सं.1 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 45 एनडीआर के खाता सं. 22/22 के प.नं. 63/335 (1) किला नं. 1/1/.228, 10/1/.228, 11/1/.228, 20/1/. 228, 21/1/. 228 की 1.140 हैक., प.नं. 63/336 (7) किला नं. 1/1/.228, 10/1/.228, 11/1/.228, 20/1/.228, 21/1/.228 की 1.140 हैक. कुल 2.280 हैक. कमांड अनकमांड खातेदारी दर्ज रिकार्ड वाके है। चक 45 एनडीआर के प. नं. 63/335 (1) किला नं. 1/1/.025, 10/1/. 025, 11/1/.025, 20/1/.025, 21/1/.025 व पत्थर नं. 63/336 (7) किला नं. 1/1/.025, 10/1/.025, 11/1/.025, 20/1/.025, 21/1/.025 हैक् के पश्चिम दिशा की सींव पर उतर दक्षिण लम्बा रास्ता मन्जूरशुदा व चालू सरकारी रास्ता है।

प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये अप्रार्थी सं.1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में से चक 45 एनडीआर के प.नं. 63/335 (1) किला नं. 1/1 में 0.025 हैक. उत्तर दिशा की सींव पर पूर्व पश्चिम लम्बा 1 बीघा व उत्तर दक्षिण दो बिस्वा चौड़ा रास्ता का उपयोग उपभोग कर रहा है। जो उक्त सरकारी रास्ता से जोड़ता हुआ है। उक्त रास्ता अर्सा दराज से चालू है। प्रार्थी को अपनी भूमि मे आने जाने के लिये उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। इसलिये प्रार्थी अब अप्रार्थी सं.1 की कृषि भूमि में से चक 45 एनडीआर के प.नं. 63/335 (1) किला नं. 1/1 में 0.025 हैक. उत्तर दिशा की सींव पर पूर्व पश्चिम लम्बा 1 बीघा व उत्तर दक्षिण दो बिस्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। उक्त रास्ता में आई कृषि एवज में डीएलसी दर की दौगुना राशि अप्रार्थी सं.1 को देने को तैयार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.08.20 10:42:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अप्रार्थी सं. 2 जो कि भू धारक है इसलिये उसे आवश्यक पक्षकार बनाया है। यह कि प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि चक 45 एनडीआर के प.नं. 63/335 (1) किला नं. 1/1 में 0.025 हैक. उतर दिशा की सींव पर पूर्व पश्चिम लम्बा 1 बीघा व उतर दक्षिण दो बिस्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमाये ।

जबाब प्रार्थना पत्र मय अतिरिक्त कथन अप्रार्थी सं. 1 की और निम्न यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 पंजीकृत पता से सम्बधित है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 में प्रार्थी की कृषि भूमि दर्ज होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 3 में अप्रार्थी सं.1 के नाम कृषि भूमि दर्ज होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 4 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 5 अस्वीकार है। प्रार्थी अपनी भूमि चक 45 एनडीआर के खाता सं. 23/23 के प.नं. 63/335 किला नं. 2, 9, 12, 19, 22, प.नं. 63/336 किला नं. 2, 9, 12, 19, 22 कुल 2.530 हैक. भूमि में आने जाने के लिये मिन अप्रार्थी की भूमि प.नं. 63/336 के किला नं. 21 के दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता दिया हुआ है जो मौके पर चालू है व इसी रास्ता से प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आना जाना करता है। जो उसके लिये सुविधाजनक व नजदीक है। प्रार्थी को अब नये रास्ता की आवश्यक्ता नही है मात्र मिन अप्रार्थी को तंग परेशान करने के लिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी के द्वारा अपनी सुविधा अनुसार से अब नये रास्ता की मांग की है जो विधि विरूद्ध है। मिन अप्रार्थी अपनी कृषि भूमि प.नं. 63/336 के किला नं. 211 में 0.013 हैक. भूमि दक्षिण दिशा में प्रार्थी को देने के लिये तैयार है व प्रार्थी इसके बदले अपनी भूमि प.नं. 63/336 के किला नं. 19 में 1 बिस्वा भूमि मिन अप्रार्थी को देकर रास्ता स्वीकृत करवाये तो मिन अप्रार्थी को कोई आपति व एतराज नही है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 कानूनी है। प्रार्थना पत्र की दफा 7 कानूनी है। जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से रिपोर्ट पत्रांक 664 दिनांक 27.04.2021 को प्राप्त की गई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू नहीं है। रास्ते में आने वाली भूमि से संबंधित खाते के समस्त काश्तकारान को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा उस भूमि में पूर्व में कोई भी स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता चाहे गये रास्ते से कम दूरी का नहीं है। चक 46 एनडीआर के प.न. 63/337 के कि.न. 1 ता 5 की उत्तरी दिशा मे रास्ता चालू है जो स्वीकृतशुदा नहीं है लेकिन उक्त रास्ते के संबंध में उभयपक्षों के द्वारा आपत्ति की गयी है।

प्रकरण अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी प्रस्तुत कर रिपोर्ट तहसीलदार पर आपत्तियां प्रस्तुत कर पुनः रिपोर्ट हेतु प्रस्तुत किया गया जिसको प्रार्थना पत्र पर बहस सुनकर प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.08.20 10:22:43 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभय पक्षसुनी गई। उभय पक्ष [illegible] मनन कर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संलग्न दस्तावेजों शपथ पत्र अवलोकन तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्व काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क के तहत स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

—:आदेश:—

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत राजीनामा व रिपोर्ट तहसीलदार पीलीबंगा का अवलोकन व अध्ययन किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट व प्रस्तुत नक्शा एव मौका निरिक्षण के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा कम दूरी का रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी चाहा गया रास्ता लघुत्तम है। इसके अतिरिक्त रास्ता हेतु अन्य लघुत्तम विकल्प भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251—क स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 क आरटीए के प्रावधानों के अनुरूप साबित होने पर स्वीकार किया जाता है कि अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि चक 45 एनडीआर के प.नं. 63/335 (1) किला नं. 1/1 में 0.025 हैक. उतर दिशा की सींव पर पूर्व पश्चिम लम्बा 1 बीघा व उतर दक्षिण दो बिस्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता की भूमि की एवज में भूमि की डी.एल.सी. दर का दोगुना राशि खजानाराज में प्रतिकर के रूप में जमा करावें। आदेशों की पालना में तहसीलदार उक्तानुसार रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 16/08/24 सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.08.20 10:22:43 IST
Reason: SelfAttested